भारत सरकार
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
(अभिगम सेवा प्रभाग)
713, संचार भवन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं0 20-73/2006-एएस-I **26 अक्तूबर, 2007**

सेवा में

सभी यूएएस/सीएमटीएस लाइसेंसधारक

विषय : सेवा संबंधी परीक्षण और प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए लाइसेंसदाता का प्राधिकृत परीक्षण दल।

एकीकृत अभिगम सेवा (यूएएस)/सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) लाइसेंस करारों के खंड 8 के संदर्भ में दूरसंचार विभाग के सतर्कता दूरसंचार अनुश्रवण (वीटीएम) प्रकोष्ठों को सेवा संबंधी परीक्षण और प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत परीक्षण दल के रुप में तत्काल प्रभाव से प्राधिकृत बनाने की एतद द्वारा सूचना दी जाती है।

2. लाइसेंसशुदा सेवा प्रदाताओं द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की कार्य प्रक्रिया, सर्किल के वीटीएम/सीसीए को शुल्क के भुगतान की पद्धति और परीक्षण कार्य प्रक्रिया/स्व-प्रमाणन प्रक्रिया के बारे में दूरसंचार विभाग के सुरक्षा प्रभाग द्वारा पृथक रुप से जानकारी दी जाएगी।

(आर0के0 गुप्ता)
सहायक महानिदेशक (एएस-I)
दूरभाष सं0 23036574

प्रतिलिपि :

1. सचिव, ट्राई।
2. वरिष्ठ उपमहानिदेशक (टीईसी)/वरिष्ठ उपमहानिदेशक (सतर्कता)
3. उपमहानिदेशक (सुरक्षा)/उप महानिदेशक (सीएस)/ उप महानिदेशक (डीएस)/उप महानिदेशक(एलएफ) दूरसंचार विभाग
4. उप महानिदेशक (सीएंडए)दूरसंचार विभाग कृपया इस संशोधन को दूरसंचार की वेबसाइट पर अद्यतन कराने की व्यवस्था करें।

174